



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक सेक्टर-19 नया रायपुर (छ.ग.)

Email- hocecb@gmail.com

क्रमांक २०७ / विधि / छ.ग.प.सं.म. / २०१७

रायपुर, दिनांक १०/५/२०१७

प्रति,

श्री ए.बी. अकोलकर,
सदस्य सचिव,
'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032

विषय :- Hon'ble Supreme Court's Order, dated 22.02.2017 WP (C) No. 375/2012 in the matter of Paryavaran Suraksha Samiti Vs Union of India

संदर्भ :- आपका ज्ञापन क्रमांक बी.-29012/आई.पी.सी.-व।/2016-17/15319 दिनांक 22.03.2017

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2017 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई -

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उद्योगों को दूषित जल उपचार संयंत्र तीन माह की समयावधि में लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर के 02 एवं प्रदश स्तर के 02 प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन किया गया है। प्रकाशित सूचना की प्रति संलग्न है।
2. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दूषित जल उपचार संयंत्र माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय समय सीमा में स्थापित करने हेतु निर्देश जारी किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।
3. मंडल के सभी क्षेत्रीय अधिकारी को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का निर्धारित समय सीमा में पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। पत्र की प्रति संलग्न है।

संदर्भित पत्र के अनुक्रम में कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

०/८

मुख्य अभियंता (प्रभारी)
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19,

नया रायपुर (छ.ग.) 492002

क्रमांक 6654/तक./मु./छ.ग.प.सं.म/2017
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 27/3/2017

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर/बिलासपुर/भिलाई-दुर्ग/कोरबा/रायगढ़/अंबिकापुर/जगदलपुर

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 375/2012 में दिनांक 22/02/2017 को पारित आदेश के परिपेक्ष्य में राईस मिलों एवं पोहा मिलों में दूषित जल उपचार व्यवस्था तथा उपयुक्त ऊँचाई की चिमनी की स्थापना कराने के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6535, दिनांक 16/03/2017

—:: 00 ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 375/2012 में दिनांक 22/02/2017 को पारित आदेश की प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यक्षेत्र में स्थित उसना राईस मिलों एवं पोहा मिलों में दूषित जल उपचार व्यवस्था की स्थापना अनिवार्य रूप से निर्धारित समयसीमा अर्थात् दिनांक 21/05/2017 के पूर्व कराना सुनिश्चित करे। मंडल की जानकारी में यह तथ्य भी आया है कि अधिकांश राईस मिलों एवं पोहा मिलों में स्थापित चिमनी की ऊँचाई सम्मति में दी गई चिमनी की ऊँचाई से कम है। अतः इन इकाईयों में सम्मति में प्रदत्त शर्त के अनुसार उपयुक्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से मंडल मुख्यालय को अवगत करावें।

इसे आवश्यक समझा जावे।

सदस्य सचिव २७/३/१७

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नया रायपुर (छ.ग.)

०८



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19,

नया रायपुर (छ.ग.) 492002

क्रमांक ६५३५८ तक. / मु. / छ.ग.प.सं.म / 2017
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक १६/३ / 2017

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर / बिलासपुर / भिलाई-दुर्ग / कोरबा / रायगढ़ / अंबिकापुर / जगदलपुर

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 375/2012 में दिनांक 22/02/2017 को पारित आदेश के पालन के संबंध में।

—:: ०० ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 375/2012 में दिनांक 22/02/2017 को पारित आदेश का अवलोकन करें। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार मंडल द्वारा समाचार पत्रों में जन सूचना प्रकाशित की जा रही है। यह सुनिश्चित करे कि संदर्भित आदेश में उल्लेखित समयसीमा अर्थात् दिनांक 21/05/2017 के पश्चात् आपके कार्यक्षेत्र में कोई भी जल प्रदूषणकारी प्रकृति का उद्योग सक्षम जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित किये बिना कार्यरत् न रहे। इकाईयों पर सतत् निगरानी रखी जावे एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से मंडल मुख्यालय को अवगत करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)

०८



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19,
नया रायपुर (छ.ग.) 492002

क्रमांक ६५३२/तक./मु./छ.ग.प.सं.म./2017
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक १६/३/२०१७

विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक ३७५/२०१२ में दिनांक २२/०२/२०१७ को पारित आदेश के पालन के संबंध में।

—:: ०० ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक ३७५/२०१२ में दिनांक २२/०२/२०१७ को पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु आदेश की कंडिका क्रमांक-८ से १२ में विस्तार से निर्देश दिये गये हैं। अतः अनुरोध है कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में निकायों में घरेलू दृष्टित जल उपचार संयंत्र की स्थापना किया जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
५८८ नया रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक ६५३३ / तक./मु./छ.ग.प.सं.म./2017

नया रायपुर, दिनांक १६/३/२०१७

प्रतिलिपि :— सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
६१८ नया रायपुर (छ.ग.)

1
१२०१११५२१
१३१४



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक सेक्टर-19 नया रायपुर (छ.ग.)

Email- hocecb@gmail.com

क्रमांक /२०८/ छ.ग.प.सं.म./ २०१७

रायपुर, दिनांक १०/४/२०१७

प्रति,

✓अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- W.P. (C) No. 375 of 2012 with Interlocutory Application No. 2 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य।

संदर्भ :- आपको ज्ञापन क्रमांक एफ ०५-८३/२०१३/३२ दिनांक 24.03.2017

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22. 02.2017 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई -

- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उद्योगों को दूषित जल उपचार संयंत्र तीन माह की समयावधि में लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर के 02 एवं प्रदश स्तर के 02 प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन किया गया है। प्रकाशित सूचना की प्रति संलग्न है।
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दूषित जल उपचार संयंत्र माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय समय सीमा में स्थापित करने हेतु निर्देश जारी किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।
- मंडल के सभी क्षेत्रीय अधिकारी को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का निर्धारित समय सीमा में पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। पत्र की प्रति संलग्न है।

संदर्भित पत्र के अनुक्रम में कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मुख्य अधिकारी (प्रभारी)
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

It is hereby informed to all concerned that Hon'ble Supreme Court of India in its judgment on 22/02/2017, in the matter WP(C) No. 375 OF 2012 Paryavaran Suraksha Samiti &Ors. Vs. UOI &Ors. The hon'ble Court has stated as,

The question that arises for our consideration is, whether the same is maintained in good order, after the industry itself has become functional. The industry requiring 'consent to operate', can be permitted to run, only if its primary effluent treatment plant, is functional. We therefore consider it just and appropriate, to direct the concerned State Pollution Control Boards, to issue notices to all industrial units, which require 'consent to operate', by way of a common advertisement, requiring them to make their primary effluent treatment plants fully operational, within three months from today. On the expiry of the notice period of three months, the concerned State Pollution Control Board(s) are mandated to carry out inspections, to verify, whether or not, each industrial unit requiring 'consent to operate', has a functional primary effluent treatment plant. Such of the industrial units, which have not been able to make their primary effluent treatment plant fully operational, within the notice period, shall be restrained from any further industrial activity.'

In compliance to the above mention direction by Hon'ble Supreme Court, all the industries, who are water polluting in nature, hereby informed to make their effluent treatment plant fully operational before above mentioned period i.e. 21-05-2017. After that CECB will close all those units who have not commissioned their effluent treatment plant.

**Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board**

Dainik Bhaskar Bilaspur 20 Mar 2017

It is hereby informed to all concerned that Hon'ble Supreme Court of India in its judgment on 22/02/2017, in the matter WP(C) No. 375 OF 2012 Paryavaran Suraksha Samiti &Ors. Vs. UOI &Ors. The hon'ble Court has stated as,

The question that arises for our consideration is, whether the same is maintained in good order, after the industry itself has become functional. The industry requiring 'consent to operate', can be permitted to run, only if its primary effluent treatment plant, is functional. We therefore consider it just and appropriate, to direct the concerned State Pollution Control Boards, to issue notices to all industrial units, which require 'consent to operate', by way of a common advertisement, requiring them to make their primary effluent treatment plants fully operational, within three months from today. On the expiry of the notice period of three months, the concerned State Pollution Control Board(s) are mandated to carry out inspections, to verify, whether or not, each industrial unit requiring 'consent to operate', has a functional primary effluent treatment plant. Such of the industrial units, which have not been able to make their primary effluent treatment plant fully operational, within the notice period, shall be restrained from any further industrial activity.'

In compliance to the above mention direction by Hon'ble Supreme Court, all the industries, who are water polluting in nature, hereby informed to make their effluent treatment plant fully operational before above mentioned period i.e. 21-05-2017. After that CECB will close all those units who have not commissioned their effluent treatment plant.

**Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur /C.G.I**

S.R0161

Public Notice

It is hereby informed to all concerned that Hon'ble Supreme Court of India in its judgment on 22/02/2017, in the matter WP(C) No. 375 OF 2012 Paryavaran Suraksha Samiti &Ors. Vs. UOI &Ors. The hon'ble Court has stated as,

"The question that arises for our consideration is, whether the same is maintained in good order, after the Industry itself has become functional. The industry requiring "consent to operate", can be permitted to run, only if its primary effluent treatment plant, is functional. We therefore consider it just and appropriate, to direct the concerned State Pollution Control Boards, to issue notices to all industrial units, which require "consent to operate", by way of a common advertisement, requiring them to make their primary effluent treatment plants fully operational, within three months from today. On the expiry of the notice period of three months, the concerned State Pollution Control Board(s) are mandated to carry out inspections, to verify, whether or not, each industrial unit requiring "consent to operate", has a functional primary effluent treatment plant. Such of the industrial units, which have not been able to make their primary effluent treatment plant fully operational, within the notice period, shall be restrained from any further industrial activity."

In compliance to the above mention direction by Hon'ble Supreme Court, all the industries, who are water polluting in nature, hereby informed to make their effluent treatment plant fully operational before above mentioned period i.e. 21-05-2017. After that CECB will close all those units who have not commissioned their effluent treatment plant.

Member Secretary

Chhattisgarh Environment Conservation Board

Naya Raipur (C.G.)

Public Notice

It is hereby informed to all concerned that Hon'ble Supreme Court of India in its judgment on 22/02/2017, in the matter WP(C) No. 375 OF 2012 Paryavaran Suraksha Samiti & Ors. Vs. UOI & Ors. The hon'ble Court has stated as,

"The question that arises for our consideration is, whether the same is maintained in good order, after the industry itself has become functional. The industry requiring "consent to operate", can be permitted to run, only if its primary effluent treatment plant, is functional. We therefore consider it just and appropriate, to direct the concerned State Pollution Control Boards, to issue notices to all industrial units, which require "consent to operate", by way of a common advertisement, requiring them to make their primary effluent treatment plants fully operational, within three months from today. On the expiry of the notice period of three months, the concerned State Pollution Control Board(s) are mandated to carry out inspections, to verify, whether or not, each industrial unit requiring "consent to operate", has a functional primary effluent treatment plant. Such of the industrial units, which have not been able to make their primary effluent treatment plant fully operational, within the notice period, shall be restrained from any further industrial activity."

In compliance to the above mention direction by Hon'ble Supreme Court, all the industries, who are water polluting in nature, hereby informed to make their effluent treatment plant fully operational before above mentioned period i.e. 21-05-2017. After that CECB will close all those units who have not commissioned their effluent treatment plant.

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation
Board Naya Raipur (C.G.)

Samved-80161

गुमशुदा



भुनेश्वर प्रसाद साह

नाम-भुनेश्वर प्रसाद साह रंग-
साँचला, चैहरा-लम्बा, कद 5'6" भाषा-
हिन्दी, छत्तीसगढ़ी, पेट शर्ट बाये हाथ
की कलाई में हिन्दी में भुनेश्वर लिखा
है। बाया हाथ एवं पैर से पैरालाइसेस
है। पिता चौर्नी लाल साह उम्र 53
वर्ष साकिन कटोद थाना डभरा से
21/1/2017 के करीबन 11.00 बजे
बिना बताये कही चला गया है। अनु-
जिस किसी सज्जन को ये मिले या दिखे
कृपया निम्न पते पर संपर्क करें-
नोंलम साह, मो. 7869005325,
8085592963, 8602685569,
9644594889

*Terms & Conditions Apply

कौशिक की जाएगी। हर शहर की टोप पोटेंस
नवर के साथ nan.pratibimb@dbcorp.in पर
अंतिम तारीख 25 मार्च 2017 है।
न लिखकर SMS करें।

www.homeonline.com
1 Languages

Public Notice

It is hereby informed to all concerned that Hon'ble Supreme Court of India in its judgment on 22/02/2017, in the matter WP(C) No. 375 OF 2012 Paryavaran Suraksha Samiti &Ors. Vs. UOI &Ors. The hon'ble Court has stated as,

The question that arises for our consideration is whether the same is maintained in good order, after the industry itself has become functional. The industry requiring 'consent to operate' can be permitted to run, only if its primary effluent treatment plant is functional. We therefore consider it just and appropriate, to direct the concerned State Pollution Control Boards, to issue notices to all industrial units, which require consent to operate, by way of a common advertisement, requiring them to make their primary effluent treatment plants fully operational, within three months from today. On the expiry of the notice period of three months, the concerned State Pollution Control Board(s) are mandated to carry out inspections, to verify, whether or not, each industrial unit requiring 'consent to operate', has a functional primary effluent treatment plant. Such of the industrial units, which have not been able to make their primary effluent treatment plant fully operational, within the notice period, shall be restrained from any further industrial activity.

In compliance to the above mention direction by Hon'ble Supreme Court, all the industries, who are water polluting in nature, hereby informed to make their effluent treatment plant fully operational before above mentioned period i.e. 21-05-2017. After that CECB will close all those units who have not commissioned their effluent treatment plant.

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
S-80161
Naya Raipur (C.G.)

पुरुष हो या नारी
सब मांगे टंकार धृतकुमारी

सबका मनपसद बहुण सम्पन्न आयुर्वेदिक रौल

बालों का असाध्य सफाद होना चाहता है।
इसके इस्तेमाल से कुछ ही हफ्तों के अन्दर
बालों का सामान्य सा लौट आता है।

बालों का टूटा और झड़ा बढ़ करता है।

जीवाणुओं के संकरण से बचाता है।

सिरदर्द और तनाव मुक्त करता है।

बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाता है।